नईदुनिया

सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता का सशक्त माध्यमः डॉ. यादव

कल्याणियों का पुनर्विवाह एक पवित्र कार्य, सामाजिक समरसता का महाकुंभ मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह समारोहः भार्गव

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे सनातन धर्म में सभी की सुख-समृद्धि और उन्नति की कामना की गई है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता का सशक्त माध्यम है। विवाह में सिर्फ वर-वधू का विवाह नहीं बल्कि दो परिवारों और कुटुम्बों का मिलन भी होता है।

मुख्यमंत्री सागर जिले के गढ़ाकोटा में 23वें वृहद सामुहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में 3 हजार 219 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, मंत्री लखन पटैल, सांसद सागर संसदीय क्षेत्र श्रीमती लता वानखेडे, दमोह सांसद राहुल सिंह, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयंत मलैया, विधायक प्रदीप लारिया, विधायक ब्रज बिहारी पटैरिया, पूर्व विधायक श्रीमती पारुल साहू, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव, श्रीश्री 108 किशोरदास महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत, नगर निगम अध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार, जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी, जिला अध्यक्ष श्रीमती रानी पटैल, अभिषेक दीपू भार्गव, डॉ. अनिल तिवारी, शैलेश केसरवानी ने भी नव दंपत्तियों को वैवाहिक जीवन के शुभारंभ पर आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं।

गढ़ाकोटा में 3,219 नव दंपत्ति बंधे परिणय सूत्र में

डॉ. यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि वर पक्ष के परिवार बहु को बेटी के समान ही प्यार और सम्मान देगें। उन्होंने कहा कि गढ़ाकोटा में आयोजित सामुहिक विवाह कार्यक्रम में निकाह के साथ पुनर्विवाह भी हो रहे हैं। कल्याणियों का पुनर्विवाह एक अच्छी पहल है। यह पवित्र कार्य है। डॉ. यादव ने जन-प्रतिनिधियों और समाजसेवियों से अपील करते हुए कहा कि वे कल्याणियों के पुनर्विवाह में सहयोग करे।

रहली विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कन्यादान महादान है, कन्यादान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि 23 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रहेगा। उनका रहली की जनता के साथ पीढ़ियों का रिश्ता है। श्री भार्गव ने कहा कि धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महाकुंभ में आज 3 हजार 219 से अधिक नवदंपत्तियों ने सात फेरे लिए हैं। मुझे अब तक 28 हजार से अधिक बेटियों का कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कन्यादान विवाह समारोह समाज से भेदभाव मिटाने का कार्य भी कर रहा है। श्री भार्गव ने कहा कि मैंने अपने इकलौते बेटे अभिषेक दीपू भार्गव का विवाह भी इसी महाकुंभ में सभी वर्गों एवं विभिन्न जातियों के जोड़ों के साथ कराया था। इसी प्रकार मैंने अपनी बेटी का विवाह भी सामूहिक विवाह समारोह में किया था। सौभाग्य की बात है कि समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मिलित होकर नव दंपत्तियों को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी नव दंपत्तियों के लिये शुभकामना संदेश भेजा है।

बुंदेली व्यंजनों से किया नव दंपत्तियों का स्वागत

23वें कन्यादान विवाह निकाह समारोह में 3 हजार से अधिक नव-दंपत्तियों के साथ घराती-बरातियों का बुंदेली व्यंजनों के साथ स्वागत किया गया। कन्यादान कार्यक्रम में सभी बुंदेली व्यंजनों के साथ आम का पाना, फूटी, आइसक्रीम, कढ़ी-चावल, बिजोरा, रोटी, खीर, पुरी, पापड़, चटनी, अचार सलाद सहित अन्य बुंदेली व्यंजन परोसे गए।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नए संशोधन 15 मई से प्रभावी

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में किये गये संशोधन 15 मई 2025 से प्रभावी होंगे। नये संशोधन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के लिये चार तिथियां बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं तुलसी विवाह (देवउठनी ग्यारस), एक अन्य तिथि विभाग के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। योजना के अन्तर्गत अब सामूहिक विवाह इन्हीं तिथियों में आयोजित होंगे, जिन्हें योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की दृष्टि से योजना की तिथियों का निर्धारण किया गया है। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 तथा अधिकतम 200 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूर्ववत ही रखी गयी हैं। योजना के तहत 49 हजार रूपये सीधे वधु के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं तथा 6 हजार रूपये की राशि आयोजनकर्ताओं को व्यवस्थाओं के लिये दिया जाता है।

न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का हो सकेगा सामूहिक विवाह

इस हफ्ते आएगा एमपी बोर्ड का रिजल्ट

सीएम ने दिए समय पर रिजल्ट के निर्देश, मूल्यांकन कार्य पूरा

भोपाल (काप्र)।

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब यह इंतजार जल्द ही पूरा होने वाला है। मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने वाला है। इस बात का निर्देश खुद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए हैं।

मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि इस बार मूल्यांकन केंद्र मालव कन्या उमावि में 10वीं और 12वीं की कुल 3 लाख 4 हजार 511 कॉपियां जांच के लिए अन्य जिलों से आई थीं। 13 मार्च 2025 से परीक्षा मूल्यांकन का कार्य शुरू हुआ था। इस बार मूल्यांकन कार्य 25 अप्रैल तक पूरा होना था, जिसको चार दिन पहले ही पूरा कर लिया। राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश जारी किए कि अगर संशोधित प्राप्तांकों की एंट्री पोर्टल पर अपलोड नहीं की तो मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने का काम पूरा

अधिकारियों ने बताया कि उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने का काम पूरा हो गया है। सभी जिलों में समन्वयक केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभाग के अधिकारियों को परीक्षा परिणाम मई के पहले सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निर्देश के अनुसार 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद तीन अप्रैल से परीक्षा पोर्टल पर पुनर्गणना की सुविधा लाइव की जा चुकी है। पुनर्गणना के लिए विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों के पुनर्गणना के आवेदन पोर्टल पर पंजीकृत किए जा रहे हैं। विद्यालयों से कहा गया है कि पोर्टल पर लाग इन कर पुनर्गणना विंडो को ओपन कर 5वीं और 8वीं का चयन किया जा सकता है।

लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदुवादी संगठन पहुंचे थाने, कड़ी कार्यवाही की मांग

भोपाल(काप्र)। देहात क्षेत्र के गुनगा थाना इलाके में बीते दिनो नाबालिग किशोरी से परिचित युवक द्वारा किये गये दुष्कर्म के मामले को लेकर हिंदुवादी संगठनो ने थाने पहुंचकर मामले में पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। जानकारी के मुताबिक वन स्टाप सेंटर (सखी) द्वारा 17 साल 6 माह की नाबालिग किशोरी की कांउसिलिग की गई थी। जिसमें नाबालिग ने बताया की उसके मोहल्ले में रहने वाला आरोपी साहिल खॉन अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाता था। लॉकडाउन के दौरान किशोरी की उससे पहचान हो गई और बातचीत होने लगी। पीड़िता का आरोप है कि पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी करने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़िता ने उससे दुरियां बनाई तब आरोपी उसे परेशान कर धमकी देने लगा। मामले में गुनगा थाना पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओ के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना को लेकर गुरुवार को विश्व हिन्दु परिषद के कार्यकर्ताओ ने पुलिस अधिकारियो से भेंट कर लव जिहाद के इस मामले में आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

वीएचपी, बजरंग दल ने लगाए नाम पूछने की आदत डालने के पोस्टर

भोपाल(काप्र)। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर के साथ ही राजधानी भोपाल में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भेल क्षेत्र के रत्नागिरी चौराहे पर एक पोस्टर लगा कर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस पोस्टर के माध्यम से कहा गया कि धर्म पूछकर आतंकवादियों ने 28 पर्यटकों को मारा। अब हमें भी धर्म पूछना पड़ेगा। आदत डालिए नाम पूछने की। अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए नाम पूछना पड़ेगा। इस पोस्टर पर कांग्रेस की प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि जिस तरह शहर में पोस्टर लगाए गए, वो कुछ लोगों की दूषित मानसिकता को दर्शाते हैं। यह पोस्टर लगाने की जगह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। सभी को एकजुटता से आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है।

सन् 2001 से 2025 तक संपन्न हुये कन्यादान कार्यक्रमों की श्रृंखला में
अभी तक 25000 कन्याओं का कन्यादान करने के उपरांत

संकल्प सिद्धि का
रजत जयंती वर्ष
2001-2025

तेईसवें पुण्य विवाह समारोह

में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों, वर-वधुओं, घरातियों-बारातियों का

हार्दिक - स्वागत - वंदन - अभिनंदन

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। * फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com